



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 201-डीएस-अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2017

दिनांक: 04 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित उपमहाप्रबन्धक(लेखा) को महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय तैनात/निगम को आबण्टित किया जाता है। उक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा) के पद पर नियुक्त होंगे :-

क्र० सं०	नाम/सम्प्रेक्षा सं०/ गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति के पश्चात तैनाती कार्यालय/आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री उमाकान्त यादव(अ०पि०व०)/ यू-148/वाराणसी/31.01.2021	उप महा प्रबन्धक (लेखा), लेखा संकलन एवं सम्प्रेक्षा, ट्रान्सको, लखनऊ।	महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ
2.	श्री ललित कुमार गुप्ता/एल-6/ बदायूं/31.01.2022	उपमहाप्रबन्धक (लेखा), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ	महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (मुख्यालय), लखनऊ

- उपरोक्त प्रोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि यदि किसी कारणवश शासन द्वारा निदेशक-वित्त के पद पर नियुक्त अधिकारी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अपने मूल पद मुख्य महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/के पद पर प्रत्यावर्तित हो जाते हैं, तो कनिष्ठतम महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा), महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा) के पद पर स्वतः प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाका०लि०(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या:201-डीएस-अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मा० ऊर्जा मंत्री/मा० ऊर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रान्समिशन का०लि०।
- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,
अरुण कुमार राय
उप सचिव (2अ)